सं0सं09 / एम0क्रय–87 / 97

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09 / एम0क्रय0–01–87 / 1997 / स्वा0 / पटना, दिनांक / डा0 वीरेन्द्र नारायण सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके कार्यकाल में विभागीय पत्रांक 176(9) दिनांक 27.01.1992 में निरूपित नियमों के विपरित सरकारी राशि का दुरुपयोग वितीय नियमों की अवहेलना तथा इस मद में आवंटित राशि से एम0एस0डी0 कोलकता ही प्रतिबंधित दवा कम्पनी से दवा अनियमित क्रय एवं उसकी प्राप्ति में सहभागिता के आरोप के लिए विभागीय संकल्प संख्या 198(9) दिनांक 22.02.05 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही के अधिगम में उक्त आरोपों को प्रमाणित किया गया। अधिगम की प्रति भेजते हुए डा0 वीरेन्द्र नारायण सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल ढ़ाका, पूर्वीचम्पारण से विभागीय पत्रांक 125(9) दिनांक 12.02.2014 के द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा निर्गत तथा माननीय मुख्य मंत्री के अनुमोदनोपरांत उनके पेंशन एवं उपादान से 30% प्रतिशत राशि की कटौती स्थायी रूप से करने का निर्णय लिया गया।

विभागीय पत्रांक 455(9) दिनांक 24.06.14 द्वारा डा0 वीरेन्द्र नारायण सिंह के विरूद्ध उपर्युक्त दंड प्रस्ताव पर बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति की अपेक्षा की गई। बिहार लोक सेवा आयोग पटना के पत्रांक 1464 दिनांक 17.09.14 द्वारा उपर्युक्त दंड प्रस्ताव पर अपनी सहमति व्यक्त की है।

अतः डा0 वीरेन्द्र नारायण सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, रेफरल अस्पताल, ढ़ाका पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत को उनके पेंशन एवं उपादान से 30% प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से जब्त करने का दंड अधिरोपित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(नागेन्द्र प्रसाद)

सरकार के अवर सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 485 (9) / स्वा0, पटना, दिनांक: 11/6/2015

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार पटना / अवर सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय उप– निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर / सिविल सर्जन पूर्वीचम्पारण, मोतिहारी / कोषागार पदाधिकारी पूर्वीचम्पारण, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– डा0 वीरेन्द्र नारायण सिंह तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल, ढ़ाका, पूर्वी चम्पारण सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव / प्रधान सचिव स्वा0 के प्रधान आप्त सचिव / सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,8,10,11,12 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– आई0 टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Sweta/Health/Notification- 14-05-12